सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 09, बुधवार, *शाके 1946*-जुलाई 31, *2024* *Sravana 09, Wednesday, Saka 1946- July 31, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 31, 2024

जी.एस.आर.17 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष ग्रुप IV के अधीन, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा"

[**सं. एफ.** 2**(**8**)डीओपी/ए**-II**/**88]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 31, 2024

G.S.R.17 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, under heading "Group IV", the existing entries of column 5 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely :-

"Secondary from a recognised Board or its equivalent examination."

[No. F.2(8)DOP/A-II/88]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.